(07) आई० ओ० सैनेजर

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं0 सं0– निग/सारा–(निगम) आरोप–53/2022 1848 (S) पटना, दिनांक :– 24/2/26

अधिसूचना

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–2342 अनु०, दिनांक 05.08.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री भारत भूषण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, मुंगेर (अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार) के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–651 (एस) अनु0 दिनांक–08.02.2023 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री भूषण के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :–

(i) सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–2342 अनु०, दिनांक 05.08.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आंतरिक अंकेक्षण द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन 30.09.2021 में ovservation & recommendation on the accounts के para (5) में Running Expenses & Fuelमें Log Book has not been mentioned in voucher fileकी आपत्ति दर्ज की गई है। इस संबंध में मगध प्रमंडल कैम्प डेहरी ऑन सोन के लेखापाल द्वारा सूचित किया गया है कि श्री भारत भूषण के कार्यकाल में Fuel एवं Running Expenses के रूप में कुल 5,94,981/– रूपये व्यय किया गया, जिसका लॉग बुक संधारित नही है।

श्री भारत भूषण का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 (1)(i)(ii)(iii) का उल्लंघन है, जिसके लिए वे दोषी प्रतीत होते है।

2. उक्त के आलोक में उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–26.03.2023 के द्वारा विभाग को समर्पित बचाव का लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–5406 (एस) अनु0 दिनांक–08.09.2023 के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–2550 अनु0 दिनांक–21.11.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमे निष्कर्ष के तहत यह अंकित किया गया कि – **आरोपी द्वारा उक्त अवधि का Log Book जमा कर दिये जाने के कारण उन्हें आरोप मुक्त करने हेतु अनुशंसा की जाती है।** संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित असहमति के बिन्दु गठित की गयी :–

(i) आपके विरूद्ध मुख्य रूप से आरोप है कि Fuel एवं Running Exepenses के रूप में कुल 5,94,981/– रूपये व्यय किया गया, जिसका Log Book संधारित नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आपके विरूद्ध उक्त आरोप को मात्र इस आधार पर अप्रमाणित माना गया कि आपके द्वारा कथित Log Book विभाग में जमा कर दिया गया है, जबकि आपके विरूद्ध गठित आरोप बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में पदस्थापन काल का है। आपके द्वारा कथित Log Book को निगम को भेजे जाने के लिए विभाग को उपलब्ध कराया गया था। इस तथ्य से आपके विरूद्ध गठित आरोप स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि Fuel एवं Running Exepenses तत्समय Log Book संधारित नहीं किया गया था।

4 उक्त उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में बचाव का लिखित अभ्यावेदन 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक–631 (एस) अनु0 दिनांक–28.01.2025 के द्वारा श्री भूषण को निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में स्मारोपरांत उनके पत्रांक शून्य दिनांक–19.05.2025 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमे मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि उनके निगम में पदस्थापित रहते हुए Log Book की मांग नहीं की गई, जिस कारण जमा नहीं हो सका। उन्होने यह भी स्पष्ट किया है कि वस्तुतः Log Book का संधारण Driver के पास एवं लेखा समायोजन के पूर्व लेखापाल/लेखा लिपिक के द्वारा किया जाना है। उनके द्वारा संधारित Log Book की मूल प्रति, जिसका समायोजन हो चुका है, की मांग की गई। समायोजित व्यय की गई राशि में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि व्यय की गई राशि का Log Book जमा लेने हेतु सम्पर्क किया गया, लेकिन निगम द्वारा विभाग से ही भेजवाने की सलाह दिया गया। उक्त के आलोक में निगम में पदस्थापन अवधि में Fuel एवं Running Expenses के भुगतान किए जाने संबंधी Log Book की द्वितीय प्रति विभाग को भेजते हुए इसे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को भेजने हेतु अनुरोध किया गया। श्री भूषण ने यह भी अंकित किया है कि विभागीय पत्रांक 203 (एस)अनु0 दिनांक 15.01.2024 द्वारा उक्त Log Book को वापस कर दिए जाने के उपरान्त निदेशानुसार कुल 05 अदद Log Book को कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, डेहरी ऑन सोन को भेज दिया गया।

5. श्री भूषण के बचाव का लिखित अभ्यावेदन के आलोक में अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से अनुरोध किया गया। तदालोक में निगम के पत्रांक–4593 अनु0 दिनांक–08.12.2025 के द्वारा 05 सदस्यीय जांच समिति का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

6. श्री भूषण के द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री भूषण के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा तथाकथित 05 अदद Log Book विभाग में उपलब्ध कराया गया था, जिसे श्री भूषण को ही वापस कर दिया गया। निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में कथित Log Book के संबंध में उल्लेख किया गया है कि श्री भूषण द्वारा समर्पित Log Book वाहन चालक द्वारा नहीं भरा गया है। Log Book में यात्रा का प्रयोजन/विवरणी कि०मी० में वाहन के मीटर के साथ अंकित नहीं है। उक्त Log Book में वाहन चालक का हस्ताक्षर नहीं है। दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि श्री भूषण के द्वारा निगम के कार्यकाल के दौरान प्रयुक्त वाहन के Log Book का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री भूषण के द्वारा उपलब्ध कराये गये तथाकथित Log Book को अमान्य कर दिया गया है। साथ ही अंकेक्षण आपत्ति की स्थिति यथावत रहने का भी उल्लेख किया गया है। तदनुसार श्री भूषण के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में श्री भारत भूषण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समर्पित बचाव का लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के समानुपातिक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 14 (iii) के तहत उनके वेतन से रू० 5,94,981/– (कुल चौबीस मासिक किस्तों में) की वसूली किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(निगम) आरोप–53/2022 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(निगम) आरोप–53/2022 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(निगम) आरोप–53/2022 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्राईवेट लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन/ उप सचिव (मुख्यालय)/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/ 6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH

ज्ञापांकः– निग / सारा–(निगम) आरोप–53 / 2022 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उक्त दण्ड को अनुपालनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग / सारा–(निगम) आरोप–53 / 2022 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– श्री भारत भूषण, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग / सारा–(निगम) आरोप–53 / 2022 1849 (S) पटना, दिनांक :– 24/2/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

24.2.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

24.02.26

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH